UPMP010012972026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), मैनपुरी,

पीठासीन अधिकारी– (JAY PRAKASH), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02388

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–625/2026,

सर्वेन्द्र उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र बालादीन निवासी नगला पंछी थाना कुर्रा, जिला मैनपुरी,
.....प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, ...अभियोजन/वादी,

सत्र परीक्षण संख्या–200/2022,
मु०अ०सं०–46/2018,
धारा 147, 148, 149, 307 भा०दं०सं०
थाना कुर्रा, जिला मैनपुरी

29.05.2026, **आदेश**

1–उपरोक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त सर्वेन्द्र की ओर से मय शपथपत्र जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ रेखा देवी पत्नी सर्वेन्द्र उर्फ बन्टी का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2–जमानत प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उक्त केस में जमानत पर था और बराबर तारीखें कर रहा था एवं केस के विचारण में सहयोग कर रहा था और पत्रावली पर हाजिर आ रहा था। प्रार्थी के पूर्व अधिवक्ता द्वारा नियत तारीख नहीं बतायी गयी और न ही कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र दिया गया इस कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी कर दिये गये है। पूर्व में नियत तारीख पर आता रहा एवं पूर्व में अधिवक्ता द्वारा तलबी नहीं दी गयी है। प्रार्थी उक्त केस में दिनांक 08.08.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है न भविष्य में करेगा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय हाजिर आयेगा। प्रार्थी ने कोई घटना कारित नहीं की है, सारी घटना झूठी व मनगढन्त बनायी गयी है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

3–सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4–अवलोकन से विदित है कि विचारण के दौरान अभियुक्त प्रदत्त जमानत का दुरूपयोग करके अनुपस्थित हो गया था जिस कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया। अभियुक्त अन्य मामले में जनपद इटावा जेल में निरूद्ध था तथा प्रस्तुत

Digitally signed by JAY PRAKASH
Date: 2026.05.30 14:12:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Mainpuri

प्रकरण में दिनांक 08.08.2025 को उसका धारा 309 दं०प्र०सं० का वारन्ट बनाया गया है तब से वह इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर रिहा था तथा अनुपस्थिति के बाबत् उसके कथन शपथपत्र से समर्थित है। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त सर्वेन्द्र का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

5– प्रार्थी/अभियुक्त सर्वेन्द्र द्वारा मुव. 50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो नवीन प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाता है कि अभियुक्त इस आशय की एक अन्डरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह भविष्य में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय उपस्थित आवेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांक 29.05.2026, **जय प्रकाश)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(द०प्र०क्षे०), मैनपुरी।

ORDER TYPED BY–SANTOSH KUMAR VERMA (STENO)